न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **171/2021**

अन्तर्गत धारा 88, 40 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मांगीदान पुत्र मुलदान 2. सुरदान पुत्र मुलदान 3. नरपतदान पुत्र मुलदान 4. सीरीयाकंवर पुत्री मुलदान 5. नखतुकंवर पुत्री मुलदान 6. धापुकंवर पुत्री मुलदान 7. केकूकंवर पुत्री मुलदान जाति चारण, निवासी देवलपुरा (आरंग) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मुलदान पुत्र चैनदान जाति चारण, निवासी देवलपुरा (आरंग) तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता वादीगण — श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 — श्री ईश्वरसिंह भाटी।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 03.07.2025

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त एवं पैतृक खातेदारी की भूमि मौजा देवलपुरा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 33, 34 रकबा क्रमशः 0.1295, 30.8937 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पैतृक रूप से विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व पुरूष चैनदान के विधिक वारिश है। पूर्व पुरूष चैनदान के फौत होने पर उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री/प्रपौत्र का जन्म से अधिकार होता है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है। उक्त विवादित आराजी पैतृक होने से वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक हिस्सा निहित है तथा बहामी तौर पर बंटवारा भी किया हुआ है। पक्षकारान् अपने अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड मे दर्ज प्रविष्टियों का अनुचित लाभ उठाकर उक्त पैतृक सहदायिकी संपत्ति का अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान अजनबी क्रेताओं को करने पर आमादा है, जबकि पैतृक सहदायिकी संपति में प्रतिवादी संख्या 1 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। साथ ही राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने से वादीगण सरकारी योजनाओं एवं अन्य कृषि विकास के कार्यो से वंचित रह जाते है। अतः उक्त विवादित पैतृक सहदायिकी खातेदारी में वादीगण द्वारा स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी होने से उक्त वाद खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर [illegible] तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किये जाना स्वीकार किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर वादीगण को सहखातेदार घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबंदियां पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने विधिक वारिशान के संबंध में 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादपत्र एवं राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तद्नुसार खातेदारी घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा भी वादीगण अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषणा बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार स्व0 चैनदान के वारिस है, जो जाति से चारण होने से वक्त मृत्यु हिन्दू विधि से शासित होते थे। अतः उनके हक हिस्सा का अंतरण भी हिन्दू विधि के अनुसार ही होगा। खतौनी बंदोबस्त व वर्तमान जमाबंदी व पेश बयान शपथ पत्र से भी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व0 चैनदान के वारिश होना साबित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजीनामा पेश कर वादपत्र अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उक्त वाद में विवादित आराजी पैतृक भूमि होने से हिन्दू विधि के अनुसार वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 की जाइन्दा संताने होने से सभी का बराबर हक हिस्सा निहित है। यदि कोई वादी वादग्रस्त आराजी में निहित अपने पुश्तैनी हक हिस्से का त्याग करना चाहता है तो वह उप पंजीयक कार्यालय में जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत अपना हक त्याग करने हेतु स्वतंत्र है। अतः वादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने से वादीगण का हक हिस्सा निहित होने से उनको प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहक बराबर 1/8 – 1/8 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाकर वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा देवलपुरा, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 33, 34 रकबा क्रमशः 0.1295, 30.8937 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार करार देते हुए प्रत्येक की खातेदारी में बहिस्सा बराबर 1/8 – 1/8 घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested